



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2015—आश्विन 14, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्र. एफ. ए 01-09-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में,—

- शीर्षक "एक — सामान्य प्रशासन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 94 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—
  - "95. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।
- शीर्षक "दो—गृह विभाग" के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत,—

(क) शीर्षक "अ—सामान्य" के सरल क्रमांक 33 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"34. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

- (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”;
- (ख) शीर्षक “आ-पुलिस” के सरल क्रमांक 18 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“19. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।

3. शीर्षक “तीन - जेल विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“8. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।

4. शीर्षक “चार - वित्त विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 36 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“37. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।

5. शीर्षक “पांच - वाणिज्यिक कर विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 22 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“23. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।

6. शीर्षक “छः - धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“12. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।

7. शीर्षक "सात - राजस्व विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 49 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"50. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

8. शीर्षक "आठ - परिवहन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"12. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

9. शीर्षक "नौ - खेल और युवा कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 20 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"21. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

10. शीर्षक "दस - वन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"12. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

11. शीर्षक "ग्यारह - वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 23 एवं उससे संबंधित

प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "24. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

12. शीर्षक "बारह - खनिज साधन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "10. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

13. शीर्षक "तेरह - ऊर्जा विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "5. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

14. शीर्षक "चौदह - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "18. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

15. शीर्षक "पन्द्रह - सहकारिता विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

16. शीर्षक "सोलह - श्रम विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

17. शीर्षक "सत्रह - लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 31 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"32. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

18. शीर्षक "अठारह - नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"20. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

15. शीर्षक "पन्द्रह - सहकारिता विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

16. शीर्षक "सोलह - श्रम विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

17. शीर्षक "सत्रह - लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 31 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"32. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

18. शीर्षक "अठारह - नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"20. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

19. शीर्षक "उन्नीस - लोक निर्माण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

20. शीर्षक "बीस - स्कूल शिक्षा विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 24 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "25. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

21. शीर्षक "इक्कीस - विधि और विधायी कार्य विभाग" भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के शीर्षक "भाग अ-विधि परामर्श शाखा" के अंतर्गत,-

- (एक) सरल क्रमांक 4 में, खण्ड (दो) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.  
(दो) सरल क्रमांक 20 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "21. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

22. शीर्षक "बाईस - पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 26 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "27. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

23. शीर्षक "तेईस - योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "18. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

24. शीर्षक "चौबीस - जनसंपर्क विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

25. शीर्षक "पच्चीस - आदिम जाति कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

26. शीर्षक "छब्बीस - सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "15. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"



27. शीर्षक "सत्ताईस - नर्मदा घाटी विकास विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "8. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

28. शीर्षक "अट्ठाईस - पुनर्वास विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

- "10. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

29. शीर्षक "उन्तीस - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 29 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "14. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

30. शीर्षक "तीस - संस्कृति विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 28 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

- "29. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

31. शीर्षक "इकतीस - जल संसाधन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

- "14. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

32. शीर्षक "तैंतीस - पर्यटन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "3. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

33. शीर्षक "चौतीस - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "7. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

34. शीर्षक "पैंतीस - पशुपालन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 16 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "17. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

35. शीर्षक "छत्तीस - मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- “11. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।
36. शीर्षक “अड़तीस – उच्च शिक्षा विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- “18. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।
37. शीर्षक “इक्तालीस – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
- “13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।
38. शीर्षक “बयालीस – तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग” के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- “9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी.”।
39. शीर्षक “पैंतालीस – विमानन विभाग” के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- “8. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

- (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।।
40. शीर्षक "सैंतालीस - भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वासि विभाग" के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- "5. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।।
41. शीर्षक "अड़तालीस - संसदीय कार्य विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 25 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- "26. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।।
42. शीर्षक "पचास - महिला एवं बाल विकास विभाग" के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- "15. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।।
43. शीर्षक "बावन - कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग" के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के सरल क्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
- "13. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

44. शीर्षक "तिरेपन - जनशिकायत निवारण विभाग" के भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के सरल कमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल कमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

"9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

45. शीर्षक "चौवन-पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत,-

(क) "भाग (1) -पिछड़ा वर्ग कल्याण " के अंतर्गत सरल कमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल कमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

"9. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

(ख) "भाग (2) -अल्पसंख्यक कल्याण " के अंतर्गत सरल कमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल कमांक एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

"8. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

46. शीर्षक "पंचपन -चिकित्सा शिक्षा विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल कमांक 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल कमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"11. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

47. शीर्षक "अट्ठावन - उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 16 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"17. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

48. शीर्षक "उनसठ - आयुष विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"7. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

49. शीर्षक "साठ - नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"6. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

50. शीर्षक "इकसठ - लोक सेवा प्रबंधन विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"6. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी."।

51. शीर्षक "बासठ - विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "6. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

52. शीर्षक "तिरेसठ - अनुसूचित जाति कल्याण विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "5. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

53. शीर्षक "चौसठ - प्रवासी भारतीय विभाग" के भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

- "16. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी.  
(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ ए 01-09-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 01-09-2015-एक(1) दिनांक 6 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th October, 2015

No. FA 01-09-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

## AMENDMENTS

In the said rules, in rule 2, in the Schedule,-

1. under the heading “**I-GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 94** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

- “95. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

2. under the heading “**II-HOME DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department,-

- (a) , in heading “**A-GENERAL**”, after **Serial number 33** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “34. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”



(b) in heading "B-POLICE", after **Serial number 18** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

"19. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts."

3. under the heading "III-JAIL DEPARTMENT" in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 7** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

"8. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts."

4. under the heading "IV-FINANCE DEPARTMENT" in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 36** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

"37. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts."

5. under the heading "V-COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT" in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 22** and entries relating

thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“23. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

6. under the heading “**VI-RELIGIOUS TRUSTS AND ENDOWMENTS DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 11** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“12. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

7. under the heading “**VII-REVENUE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 49** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“50. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

8. under the heading “**VIII-TRANSPORT DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 11** and entries relating thereto, the

following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“12. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

9. under the heading **“IX-SPORTS AND YOUTH WELFARE DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 20** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“21. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

10. under the heading **“X-FOREST DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 11** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“12. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

11. under the heading **“XI-COMMERCE, INDUSTRY AND EMPLOYMENT DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 23** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“24. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

12. under the heading **“XII- MINERAL RESOURCES DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 9** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“10. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

13. under the heading **“XIII-ENERGY DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 4** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“5. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

14. under the heading “**XIV-FARMER WELFARE AND AGRICULTURE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 17** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“18 (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

15. under the heading “**XV-CO-OPERATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“9 (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

16. under the heading “**XVI-LABOUR DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 12** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“13 (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

17. under the heading “**XVII-PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 31** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“32. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

18. under the heading “**XVIII-URBAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 19** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“20. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

19. under the heading “**XIX-PUBLIC WORKS DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“9. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

20. under the heading “**XX-SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 24** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“25. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

21. under the heading “**XXI-LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT**”, under heading “**PART A-LEGAL ADVICE WING**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department,

(a) in **Serial number 4, clause (ii)** and entries relating thereto shall be omitted.

(b) after **Serial number 20** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“21. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

22. under the heading “**XXII-PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 26** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“27. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”
23. under the heading “**XXIII-PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 17** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
- “18. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”
24. under the heading “**XXIV-PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 12** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
- “13. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”
25. under the heading “**XXV- TRIBAL WELFARE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
- “9. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.



- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

26. under the heading “**XXVI-SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSONS WELFARE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 14** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“15. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

27. under the heading “**XXVII-NARMADA VALLEY DEVELOPMENT DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 7** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“8. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

28. under the heading “**XXVIII-REHABILITATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 9** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“10. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

29. under the heading “**XXIX-FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 13** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“14. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

30. under the heading “**XXX-CULTURE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 28** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“29. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

31. under the heading “**XXXI-WATER RESOURCES DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 13** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“14. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

32. under the heading “**XXXIII-TOURISM DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 2** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “3. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

33. under the heading “**XXXIV-PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 6** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “7. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

34. under the heading “**XXXV-ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 16** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “17. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

35. under the heading **“XXXVI-FISHERMAN WELFARE AND FISHERIES DEVELOPMENT DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 10** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

“11. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

36. under the heading **“XXXVIII-HIGHER EDUCATION DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 17** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“18. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.” .

37. under the heading **“XLI-SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 12** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“13. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

38. under the heading “**XLII-TECHNICAL EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “9. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

39. under the heading “**XLV-AVIATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 7** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “8. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

40. under the heading “**XLVII-BHOPAL GAS TRAGEDY RELIEF AND REHABILITATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 4** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “5. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

41. under the heading **“XLVIII-PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 25** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“26. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

42. under the heading **“L-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 14** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“15. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

43. under the heading **“LII-COTTAGE AND RURAL INDUSTRY DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 12** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“13. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

44. under the heading “**LIII-PUBLIC GRIVANCES REDRESSAL DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “9. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

45. under the heading “**LIV-BACKWARD CLASSES AND MINORITIES WELFARE DEPARTMENT**”, in part (A), Matters of Policy dealt within the Department,

- (a) in “**PART (1)-BACKWARD CLASSES WELFARE**”, after **Serial number 8** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “9. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

- (b) in “**PART (2)-MINORITIES WELFARE**”, after **Serial number 7** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “8. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

46. under the heading “**LV-MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 10** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “11. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

47. under the heading “**LVIII-HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 16** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

- “17. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.

48. under the heading “**LIX-AYUSH DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 6** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

- “7. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.



- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.
49. under the heading **“LX- NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 5** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
- “6. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.
50. under the heading **“LXI-PUBLIC SERVICE MANAGEMENT DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 5** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-
- “6. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.
- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”.
51. under the heading **“LXII-DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE WELFARE DEPARTMENT”** in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 5** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-
- “6. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

- (ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

52. under the heading “**LXIII-SCHEDULED CASTE WELFARE DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 4** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“5. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

53. under the heading “**LXIV-OVERSEAS INDIAN DEPARTMENT**” in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 15** and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :-

“16. (i) Sanction of prosecution under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(ii) Sanction of Prosecution against Public Servents under Section 197 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and Special/other Acts.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIA, Addl. Secy.